राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19159/2023

भंवर लाल भादू पुत्र किशना राम, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी मोटावतों का बास, गंगाणी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. वेद प्रकाश पुत्र भागीरथ ब्राह्मण, निवासी बड़ा बास, गंगाणी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
2. रामरख पुत्र श्री पाबू राम, निवासी मालियों का बास, गंगाणी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
3. बलदेव पुत्र भीखा राम, निवासी जाटाबास, गंगाणी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
4. कंवर लाल पुत्र श्री रामनिवास प्रजापत, रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत चुनाव-2020, ग्राम पंचायत गंगाणी, पंचायत समिति बावड़ी, जिला जोधपुर वर्तमान में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, हिम्मतपुरा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर, निवासी मुकाम पोस्ट टांकला, तहसील नागौर, पंचायत समिति खींवसर, जिला नागौर में कार्यरत।
5. राजस्थान राज्य, निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर, जोधपुर के माध्यम से।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) के लिए	:	श्री सी.एस. कोटवानी श्री मनोज चौधरी और श्री यश राजपुरोहित के साथ
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री डीएलआर व्यास श्री ओम प्रकाश प्रजापत और डॉ. प्रवीण खंडेलवाल, एएजी

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

आदेश(मौखिक)

रिपोर्ट करने योग्य

फैसला 26/02/2024 को सुरक्षित

<u>फैसला 05/03/2024 को सुनाया गया</u>

1. तत्काल याचिका में तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है और विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं:

1.1. वर्ष 2020 में ग्राम पंचायत गंगाणी के सरपंच पद के लिए चुनाव हुए। याचिकाकर्ता भंवर लाल भादू और प्रतिवादी क्रमांक 1 वेद प्रकाश ने सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा। याचिकाकर्ता को 2212 वोट मिले, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 को 2069 वोट मिले। याचिकाकर्ता को चुनाव में विजयी घोषित किया गया क्योंकि उसने प्रतिवादी क्रमांक 1 से 145 वोट अधिक प्राप्त किए। प्रतिवादी संख्या 1 ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर मेट्रो, जोधपुर (जिसे आगे 'चुनाव न्यायाधिकरण' कहा जाएगा) के समक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 43 तथा राजस्थान पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम 80(डी)(iii) एवं नियम 80(एफ) के अंतर्गत चुनाव याचिका प्रस्तुत की। चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि वार्ड संख्या 10 की मतदाता सूची में क्रम संख्या 440 से 578 तक के मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, तथापि वार्ड संख्या 10 के हटाए गए मतदाताओं ने याचिकाकर्ता के पक्ष में एक से अधिक स्थानों पर वोट डाले (दोहरा मतदान) और इसलिए अनावेदक-भंवर लाल भादू ने चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाया है और इसलिए याचिकाकर्ता का चुनाव रद्द किया जाए तथा आवेदक को निर्वाचित घोषित किया जाए।

1.2. याचिकाकर्ता-अनावेदक ने चुनाव याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल किया और चुनाव याचिका की स्थिरता के संबंध में कुछ प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं।

1.3. आधिकारिक प्रतिवादियों ने भी जवाब दाखिल करते हुए कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया गया था।

1.4. विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने मुद्दों को तैयार करने के बाद दोनों पक्षों की ओर से उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पेश करके मामले का फैसला सुनाया। विद्वान न्यायाधिकरण ने दिनांक 07.12.2023 के आदेश के तहत चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए सरपंच, ग्राम पंचायत, गंगानी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर के पद के लिए चुनाव को शून्य और अमान्य घोषित किया। दिनांक 07.12.2023 के आदेश के खिलाफ व्यथित होकर, याचिकाकर्ता-अनावेदक ने वर्तमान रिट याचिका पेश की है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-वेद प्रकाश की चुनाव याचिका में दलीलों का मात्र अवलोकन करने से पता चलता है कि ग्राम पंचायत, गंगानी के वार्ड सं.10 से कुछ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे और

उनके नाम ग्राम गंगानी के वार्ड सं.12 में दर्शाए गए थे और इस प्रकार, जिन मतदाताओं के नाम वार्ड सं.10 से हटा दिए गए थे, उन्होंने दोनों स्थानों यानी वार्ड सं.10 और वार्ड सं.12 में अपने वोट डाले थे। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-गैर-आवेदक और राज्य द्वारा दायर उत्तर में, चुनाव याचिका में किए गए प्रस्तुतीकरण को अस्वीकार कर दिया गया था और दलीलों के आधार पर, विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने चार मुद्दे तैयार किए, जिनमें से, मुद्दा सं.1 और 4 चुनाव याचिकाकर्ता/प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में तय किए गए थे और मुद्दा सं.2 भी याचिकाकर्ता-गैर-आवेदक के खिलाफ तय किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने मजबूती से दलील दी कि विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा तैयार किया गया मुद्दा संख्या 2 बहुत विशिष्ट था और विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण का दायित्व था कि वह तैयार किए गए अन्य मुद्दों के अनुरूप मामले पर चर्चा करे। चूंकि मुद्दा संख्या 2 यह था कि क्या जिन व्यक्तियों के नाम वार्ड संख्या 10 से क्रमांक 440-578 से हटाए गए हैं और ये नाम वार्ड संख्या 12 में जोड़े गए हैं, उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी और उनकी टीम की मिलीभगत से अवैध और भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेकर दोनों जगहों पर याचिकाकर्ता के पक्ष में वोट डाले थे? विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि मुद्दा संख्या 2 पर निष्कर्ष रहस्यमय और बिना किसी आधार के है। उन्होंने आगे दलील दी कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दिखाए कि याचिकाकर्ता के कहने पर वार्ड संख्या 10 के हटाए गए मतदाताओं ने दोनों जगहों यानी वार्ड संख्या 10 और वार्ड संख्या 12 पर याचिकाकर्ता के पक्ष में वोट डाले थे। उन्होंने आगे कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि एक ही व्यक्ति ने वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 12 में याचिकाकर्ता के पक्ष में वोट डाला था। विद्वान वकील ने कहा कि चुनाव याचिका में दलीलों के अनुसार, हालांकि इस तथ्य का कोई खुलासा नहीं किया गया है कि उन व्यक्तियों की क्रम संख्या क्या है जिनके नाम वार्ड नंबर 10 से हटा दिए गए हैं, हालांकि, विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 72 व्यक्ति जिनके नाम वार्ड नंबर 10 से हटा दिए गए हैं, उन्होंने दोनों वार्डों में अपने वोट डाले थे।

3. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मुद्दा संख्या 2 से निपटते समय विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि कुछ व्यक्तियों ने अवैध रूप से वार्ड संख्या 10 से अपने वोट डाले हैं, हालांकि इस संबंध में कोई दलील नहीं दी गई थी। निर्णय के पैराग्राफ 12 में विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने उन सामग्रियों और साक्ष्यों पर विचार किया है, जिनके बारे में न तो दलील दी गई और न ही किसी पक्ष द्वारा जांच की गई।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपने साक्ष्य के समर्थन में तीन व्यक्तियों, अर्थात् भागीरथ पुत्र धोकल राम, पुरखा राम पुत्र नारायण राम और जगदीश पुत्र दुर्गा राम को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि उन्होंने केवल एक ही स्थान पर अपना वोट डाला था। जिरह में, इन तीनों व्यक्तियों से प्रदर्श 7 और 8 अर्थात मतदाता मूल रजिस्टर पर उनके हस्ताक्षर के संबंध में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया क्योंकि ये दोनों रजिस्टर ऐसे दस्तावेज हैं जहां मतदान के लिए आए मतदाता के हस्ताक्षर चुनाव अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि वार्ड संख्या 10 और 12 में 72 व्यक्तियों ने मतदान किया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि जिन व्यक्तियों ने वार्ड संख्या 10 में मतदान किया है, वे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वार्ड संख्या 12 में भी मतदान किया है, जब तक कि इस आशय का साक्ष्य विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता, जो कि निर्णायक प्रकृति का है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष केवल मतदाता मूल रजिस्टर (प्रदर्श 7 और 8) की जांच के आधार पर है, जिसमें चुनाव न्यायाधिकरण ने उसमें नामित व्यक्तियों के हस्ताक्षरों को खुली आंखों से देखा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वार्ड नंबर 10 और 12 में मतदान किया है। विद्वान वकील ने कहा कि विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 73 के विपरीत है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने गलत निष्कर्ष दर्ज किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले विवाद नहीं उठा सकता था क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है और एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही कोई व्यक्ति यह जान सकता है कि चुनाव में कोई अनियमितता हुई है या नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने आधिकारिक रूप से कहा है कि जब मतदान प्रक्रिया चल रही थी, तो उनके मतदान एजेंट ने वार्ड संख्या 10 में उन व्यक्तियों द्वारा वोट डालने पर आपत्ति जताई थी जिनके नाम हटा दिए गए हैं।

7. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को डी.डब्लू. 2 ओमा राम और डी.डब्लू. 4 रामरख सोलंकी की जिरह के लिए बुलाया था, ताकि यह दिखाया जा सके कि उन्हें इस तथ्य की भी जानकारी नहीं है कि उनके नाम मतदाता सूची प्रदर्श 14 में

दर्शाए गए हैं या नहीं और उन्हें इस तथ्य की भी जानकारी नहीं है कि उनके नाम प्रदर्श 13 से क्रमांक 440-578 से हटाए गए हैं या नहीं।

8. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने डी.डब्लू.5 पुरखा राम, डी.डब्लू.6 भागीरथ और डी.डब्लू.7 जगदीश चौधरी से जिरह की, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूछा गया सांकेतिक प्रश्न यह था कि क्या उन्होंने दो स्थानों पर मतदान किया है या नहीं और डी.डब्लू. 5 से 7 द्वारा दिया गया उत्तर यह था कि उन्होंने केवल एक स्थान पर मतदान किया है। इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष गलत है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया है:-

1. आई. विक्षेषे सेमा बनाम होकिषे सेमा, (1996) 4 एससीसी 53;

2. ओ. भारतन बनाम के. सुधाकरन एवं अन्य, (1996) 2 एससीसी 704;

3. म्यूनिसिपल कमेटी, बहादुरगढ़ बनाम कृष्णन बिहारी एवं अन्य, (1996) 2 एससीसी 714;

4. अजय कुमार परमार बनाम राजस्थान राज्य, (2012) 12 एससीसी 406

5. विजय बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2023 (4) आरएलडब्लू 3528 (एससी)।

इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि दिनांक 07.12.2023 के आदेश को रद्द और अपास्त कर दिया जाए।

10. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने प्रत्येक तथ्य पर ध्यान दिया है और दलीलों पर बारीकी से विचार करने तथा अपने समक्ष लाए गए साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, दिनांक 22.09.2021 को अपने द्वारा तैयार किए गए मुद्दों पर सही निष्कर्ष दर्ज किया है। प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने चुनाव याचिका की दलीलों और प्रतिवादियों के उत्तर का अवलोकन करने के पश्चात दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि यह स्थापित कानून है कि कोई व्यक्ति दो स्थानों पर अपना वोट नहीं डाल सकता है, इस प्रकार विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो गया कि जिन व्यक्तियों के नाम वार्ड संख्या 10 से हटाए गए थे और वार्ड संख्या 12 में पंजीकृत थे, उन्होंने वार्ड संख्या 10 और वार्ड संख्या 12 में भी अपना वोट डाला था, जो कानून में अनुमेय नहीं है।

11. प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई प्रार्थना के मद्देनजर विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने चुनाव अधिकारियों से मूल अभिलेख मांगा और उसकी जांच करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि 72 ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम वार्ड संख्या 10 से हटाए गए थे और वार्ड संख्या 12 में जोड़े गए थे और प्रदर्श 7 और 8 (मतदाता मूल रजिस्टर) में खुली आंखों से जांच के बाद उनके हस्ताक्षरों के आधार पर यह सही रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जिन व्यक्तियों के नाम वार्ड संख्या 10 से हटाए गए थे, वे वही व्यक्ति थे जिन्होंने वार्ड संख्या 12 में भी अपना वोट डाला था। प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-अनावेदक और आधिकारिक प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाब के अनुसार, उन्होंने वार्ड संख्या 10 से मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बावजूद दो स्थानों पर वोट डाले जाने के तथ्य से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि मुद्दा संख्या 2 पर चर्चा और विचार-विमर्श से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने रिकॉर्ड की जांच की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि जिन व्यक्तियों के नाम वार्ड संख्या 10 से हटाए गए थे, उन्होंने वार्ड संख्या 10 के साथ-साथ वार्ड संख्या 12 में भी वोट डाले थे। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि चूंकि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि 72 व्यक्तियों ने दो स्थानों यानी वार्ड संख्या 10 और वार्ड संख्या 12 में मतदान किया था और इसलिए, विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण के पास याचिकाकर्ता के चुनाव को बरकरार रखने का कोई कारण नहीं था।

12. प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी व्यक्ति को तब तक मतदान करने की अनुमति नहीं है जब तक कि वह अपने साथ फोटो पहचान पत्र न ले जाए और वर्तमान मामले में, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि जिन व्यक्तियों के नाम वार्ड संख्या 10 से हटाए गए हैं, उन्होंने वार्ड संख्या 10 के साथ-साथ वार्ड संख्या 12 में भी मतदान किया था, क्योंकि दोनों स्थानों पर नामित व्यक्तियों की पहचान उनके पहचान दस्तावेजों से की गई थी, जबकि उन्हें चुनाव अधिकारियों द्वारा वोट डालने की अनुमति दी गई थी और, इसलिए, वे एक ही व्यक्ति थे। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि मतदाताओं को अपना पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है, इसलिए यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि मतदाता मूल रजिस्टर में क्रमांक 440-578 पर जिन व्यक्तियों के नाम अंकित हैं, वे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना वोट डाला था और इस मामले को देखते हुए, क्रमांक 440-578 पर जिन व्यक्तियों ने अपना वोट एक से अधिक स्थानों पर डाला है।

13. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने मतदाता मूल रजिस्टर प्रदर्श 7 और 8 से व्यक्तियों के हस्ताक्षर का मिलान करके निर्णायक रूप से साबित कर दिया है और सही ढंग से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जिन व्यक्तियों ने वार्ड सं. 12 में मतदान किया है, वे वही व्यक्ति थे जिन्होंने वार्ड सं. 10 में अपना वोट डाला था, जबकि उनके नाम वार्ड सं. 10 से हटा दिए गए थे।

14. विद्वान अधिवक्ता ने बार-बार और जोरदार ढंग से दलील दी कि चूंकि एक ही समूह (72 व्यक्ति) ने दो स्थानों पर वोट डाले थे, इसलिए याचिकाकर्ता-गैर-आवेदक का चुनाव सही रूप से शून्य और अमान्य घोषित किया गया है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा 07.12.2023 को पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है।

15. प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि चूंकि रजिस्टर प्रदर्श 7 और 8 सार्वजनिक दस्तावेज थे, इसलिए विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष उनकी सत्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। अपनी दलीलों के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया:-

1. ए. नीलालोहितदासन नादर बनाम जॉर्ज मैस्करीन और अन्य, (1994) एआईआर (एससीडब्ल्यू) 2198;

2. सेवाराम बनाम जिला न्यायाधीश, झुंझुनू एवं अन्य, (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2934/2027, 25.08.1999 को निर्णीत, 386 डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 2000 (2)।

3. निदेशक, सेंट्रल स्टेट फार्म, सूरतगढ़ बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 914/89), 17.11.1999 को निर्णीत.

4. नेनू राम बनाम अमरा राम, (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13595/2015, 13.04.2016 को निर्णीत), 2016 (3) सी.जे. (सिविल) (राज.) 1625

5. एन.मणि बनाम संगीता थियेटर, (2004) 12 एस.सी.सी. 278।

16. प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत गंगानी के सरपंच का चुनाव निष्पक्ष रूप से सम्पन्न हुआ था तथा वार्ड संख्या 10 की मतदाता सूची में क्रम संख्या 470 से 578 तक के नाम वाले व्यक्तियों ने दो बार मतदान नहीं किया था।

17. मैंने बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

18. प्रथम दृष्टया चुनाव याचिका की प्रार्थना को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार है:-

> "अतः चुनाव याचिका प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता की माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है –
>
> (अ) कि ग्राम पंचायत गंगाणी के सरपंच पद के चुनाव सम्बंधी वार्ड संख्या 10 व 12 के मतदाताओं की सूची, मतदाताओं के हस्ताक्षसुदा रजिस्टर (जो कि निर्वाचन अधिकारी के पावर एण्ड पजेशन में है) को तलब फरमाया जावे।
>
> (ब) कि याचिकाकर्ता की चुनाव याचिका को स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत गंगाणी पंचायत समिति बावड़ी जिला जोधपुर के सरपंच पद के चुनाव 2020 में प्रत्यर्थी संख्या–एक के निर्वाचन को निरस्त करने के आदेश प्रदान करावें तथा याची को ग्राम पंचायत गंगाणी के सरपंच पद हेतु प्रत्यर्थी संख्या–1 का निकटतम प्रतिद्वन्दी होने से निर्वाचित घोषित किये जाने के आदेश फरमावें।
>
> (स) कि अन्य कोई न्यायोचित आदेश, जो माननीय न्यायालय उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में याची के पक्ष में उचित समझें, पारित फरमावें।"

चुनाव याचिका में की गई प्रार्थना का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि चुनाव-याचिकाकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक 1 ने चुनाव को शून्य घोषित करने तथा उसे निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने की प्रार्थना की है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चुनाव याचिका में इस तथ्य के आधार पर चुनाव को शून्य घोषित करने की कोई प्रार्थना नहीं की गई थी कि कुछ मतदाताओं ने एक से अधिक स्थानों पर अपना वोट डाला है। इसलिए, प्रतिवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राम पंचायत गंगानी के सरपंच के चुनाव को शून्य घोषित करने की प्रथम दलील चुनाव याचिका में की गई प्रार्थनाओं के मद्देनजर खारिज की जाती है।

19. विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने पक्षों की दलीलों के आधार पर निम्नलिखित मुद्दे तय किए:-

> "1. आया ग्राम पंचायत गांगाणी के वार्ड संख्या–10 के क्रम संख्या 440 से 578 तक के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में से विलोपित किये जा कर उक्त सभी मतदाताओं के नाम वार्ड संख्या–12 के क्रम संख्या 246 से 384 तक में जोड़ा गया ?
>
> प्रार्थी/–
>
> 2. आया अप्रार्थी संख्या–4 रिटर्निंग अधिकारी एवं उसके दल द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 से मिलीभगत कर वार्ड संख्या–10 के क्रम संख्या 440 से 578 तक के विलापित मतदाताओ, जिनके नाम वार्ड संख्या–12 में दर्ज किये गये है, को वार्ड संख्या–10 में अनैतिक व भ्रष्ट तरीके से मतदान करने की स्वीकृति दे कर सहयोग किया गया?
>
> प्रार्थी/–
>
> 3. आया चुनाव याचिका की विषय वस्तु एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजात आदेश 6 नियम 14 व 15 में वर्णित रीति से हस्ताक्षर करते हुए सत्यापन कर प्रस्तुत नहीं किये जाने से याचिका खारिज किये जाने योग्य है ?
>
> अप्रार्थी सं.1/–
>
> 4. अनुतोष? "

20. चूंकि मुद्दा संख्या 2 केवल वर्तमान तथ्यों के सेट में प्रासंगिक है, इसलिए पक्षों के विद्वान वकीलों ने केवल मुद्दा संख्या 2 पर अपने तर्क संबोधित किए हैं।

21. मुद्दा संख्या 2 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 - रिटर्निंग अधिकारी ने याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत करके भ्रष्ट आचरण अपनाते हुए, उन मतदाताओं को, जिनके नाम वार्ड संख्या 10 में क्रमांक 440 से 578 तक थे, वार्ड संख्या 10 से हटा दिए गए थे और वार्ड संख्या 12 में जोड़ दिए गए थे, वार्ड संख्या 10 के साथ-साथ वार्ड संख्या 12 में भी मतदान करने की अनुमति दी। विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने चुनाव के मूल रिकॉर्ड की मांग की और उसकी जांच के बाद मुद्दा संख्या 2 पर चुनाव याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्कर्ष दर्ज किया और माना कि जिन व्यक्तियों के नाम वार्ड संख्या 10 से हटाए गए थे, उन्होंने दो स्थानों पर अपने वोट डाले थे और इसलिए, उनके वोटों को अमान्य घोषित किया गया।

22. विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा मुद्दा संख्या 2 पर विचार करते समय दर्ज किए गए प्रासंगिक निष्कर्ष को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जिसमें उन व्यक्तियों के वोटों को अमान्य घोषित करने की बात कही गई थी, जिन्होंने दो स्थानों पर अपना वोट डाला था।

> "23– दौराने बहस अप्रार्थी सं. 01 के विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी ने वार्ड सं. 10 व वार्ड सं. 12 में मतदाताओं द्वारा डबल मतदान करने का आक्षेप लगाया है, परन्तु इस सबंध में मतदान रजिस्टर प्रदर्श–07 व प्रदर्श–08 जो निर्वाचन विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं, उसमें मतदाताओं के हस्ताक्षरों का एफएसएल भी नहीं करवाया गया है और ना ही मिलान किया गया है। ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता है कि उसी मतदाता द्वारा वार्ड स. 10 व वार्ड स. 12 में मतदान किया गया। इस सबंध में मूल मतदाता रजिस्टर प्रदर्श–07 व प्रदर्श–08 पत्रावली पर उपलब्ध है जो निर्वाचन विभाग की ओर से प्रस्तुत किया गया है। दोनों ही मूल रजिस्टर का अवलोकन करने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 73 के तहत न्यायालय सक्षम है, जिन को खुली आखों से देखने पर व अवलोकन करने पर यह भी प्रकट है कि सारिणी में वर्णित मतदाता रामदीन, पुरखाराम, तिलोक सिहं, भागीरथ, मानाराम, जगदीश, रिन्कू धोलिया, ओ माराम, अशोक , कैलाश, रामपाल, कौशल्या ने वार्ड सं. 10 व वार्ड सं. 12 में मतदान करते हुए मतदान के दौरान वार्ड सं. 10 के मतदाता रजिस्टर प्रदर्श–8 के क्रम सं. क्रमशः 507, 553, 662, 317, 410,303, 611, 674, 693, 707, 663, 704 पर वार्ड सं. 12 के मतदाता रजिस्टर प्रदर्श–07 के क्रम सं. क्रमशः 499, 168, 646, 257, 402, 259, 514, 389, 347, 297, 585, 309 पर क्रमशः अपने–अपने एक ही प्रकार के हस्ताक्षर किये है। चूकि धारा 18 (ग) खण्ड 3 राजस्थान पचायती राज अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी, भी निर्वाचन में एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देता है तो ऐसी सभी वार्ड निर्वाचन क्षेत्र में कि उसके मत शून्य समझे जायेगें।

24— दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा कि मतदान के दौरान वार्ड सं. 10 के लगभग 15 मतदाताओं ने दोहरे मतदान का प्रयोग किया अर्थात् एक ही मतदाता ने उसी वार्ड में 02 बार मतदान का प्रयोग किया। ऐसी स्थिति में उसका वार्ड सं. 10 में किया गया मतदान शून्य है, जो कि मानने योग्य नहीं है। जिस पर बहस के दौरान अप्रार्थी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता का विरोध रहा कि चूंकि प्रार्थी ने उक्त तथ्य अपनी याचिका में अंकित नहीं किये हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्लीडिंग्स से वाहर नहीं जा सकता। अतः इस तर्क को नहीं माना जा सकता। चूंकि प्रार्ज्ञी ने ग्राम पचांयत गगांणी के दिनाकं 28.09.2020 को हुए चुनाव के पश्चात् यह याचिका प्रस्तुत की है और उक्त दोहरे मतदान के संबंध में चुनाव की प्रक्रिया से पूर्व या तत्काल चुनाव दिनांक 28.09.2020 को ही प्रार्थी को उक्त दोहरे मतदान का पता चल जाये, यह संभव नहीं है। इस संबंध में निर्वाचन विभाग की ओर से प्रस्तुत हुई वार्ड सं. 10 की मतदाता चिन्हित मूल प्रति प्रदर्श—14 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें क्रम सं. 6 पर सरिता पत्नी राजू धोलिया, क्रम सं. 100 पर रामनिवास पुत्र शेराराम, क्रम सं. 101 पर बेबी पत्नी रामनिवास क्रम सं. 103 पर कानाराम पुत्र रामूराम, क्रम सं. 120 पर श्रवण पुत्र कानाराम, क्रम सं. 124 पर पानी पत्नी चन्द्राराम, क्रम सं. 147 पर चेलाराम पुत्र पुसाराम, क्रम सं. 231 पर जगदीश पुत्र चेनाराम, क्रम सं. 239 पर मोहनराम पुत्र मगंलाराम, क्रम सं. 262 पर बाया पत्नी गुमनाराम, क्रम सं. 383 पर ओमाराम पुत्र चोथाराम व क्रम सं. 399 पर बिबकी पत्नी प्रकाश का नाम अंकित किया हुआ है और वार्ड सं. 10 में हुए मतदान का मतदाता मूल रजिस्टर प्रदर्श—8, जो कि निर्वाचन विभाग की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है जो भी पत्रावाली पर उपलब्ध है। जिसके अवलोकन से प्रकट है कि वार्ड सं. 10 में सरिता पत्नी राजू धोलिया ने क्रम सं. 616 व 632 पर, रामनिवास पुत्र शेराराम ने क्रम सं. 230 व 743 पर, बेबी पत्नी रामनिवास ने क्रम सं. 256 व 354 पर, कानाराम पुत्र रामूराम ने क्रम सं. 316 व 740 पर, श्रवण पुत्र कानाराम ने क्रम सं. 192 व 654 पर, पानी पत्नी चन्द्राराम ने क्रम सं. 287 व 573 पर, चेलाराम पुत्र पुसाराम ने क्रम सं. 105 व 123 पर, जगदीश पुत्र चेनाराम ने क्रम सं. 72 व 257 पर, मोहनराम पुत्र मंगलाराम ने क्रम सं. 65 व 361 पर, बाया पत्नी गुमनाराम ने क्रम सं. 80 व 621 पर, आमाराम पुत्र चोथाराम ने क्रम सं. 109 व 383 पर व बिबकी पत्नी प्रकाश ने क्रम सं. 47 व 623 पर दो—दो बार मतदान किया है। साथ ही वार्ड सं. 12 में मतदाता सूची के अनुसार दिलीप पुत्र रूपाराम चुकी पत्नी सूजाराम ने मूल मतदाता रजिस्टर प्रदर्श—07 के अनुसार क्रमशः क्रम सं. 134 व 360 पर, एवं क्रम सं. 136 व 171 पर दो—दो बार मतदान किया है। चूंकि इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18 (ग) खण्ड (4) में विहित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन में इस बात के होने पर भी कि उसका नाम एक ही वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है, उसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मत नहीं देगा और यदि वह एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में मत देता है तो ऐसे सभी वार्ड व निर्वाचन क्षेत्र में दिये गये उसके मत शून्य समझे जायेंगे। अर्थात् उक्त उपबंधों के अनुसार उस वार्ड या निर्वाचक नामावली में व्यक्ति एक ही बार मत दे सकता है, यदि उसने उसी वार्ड/ निर्वाचन नामावली में एक से अधिक बार मत कर दिया है तो उसके सभी मत शून्य समझे जावेंगे।"

23. उपरोक्त दर्ज किए गए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने मूल चुनाव रजिस्टर (मतदाता मूल रजिस्टर) की जांच की थी और उन व्यक्तियों के हस्ताक्षरों की तुलना की थी जिनके नाम वार्ड नंबर 10 में क्रमांक 440 से 578 में उल्लिखित थे और वही वार्ड नंबर 12 में भी परिलक्षित थे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि खुली आंखों से देखने पर, उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर एक जैसे और मिलते-जुलते हैं और इसलिए, यह निष्कर्ष दर्ज किया गया कि वे वही व्यक्ति थे जिन्होंने वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 12 में भी अपने वोट डाले थे। विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण ने वर्तमान मामले में निष्कर्ष दर्ज करने से पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1982 (जिसे आगे '1972 का अधिनियम' कहा जाता है) की धारा 73 का सहारा नहीं लिया था कि इसमें उल्लिखित व्यक्तियों के हस्ताक्षर वही व्यक्ति थे जिन्होंने वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 12 में अपने वोट डाले थे। 1972 के अधिनियम की धारा 73 में बहुत स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई हस्ताक्षर, लेख या मुहर उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा इसे लिखा या बनाया गया माना जाता है, न्यायालय की संतुष्टि के लिए स्वीकार किए गए या साबित किए गए किसी भी हस्ताक्षर, लेख या मुहर की तुलना उस हस्ताक्षर, लेख या मुहर से की जा सकती है जिसे साबित किया जाना है, हालांकि उस हस्ताक्षर, लेख या मुहर को किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रस्तुत या साबित नहीं किया गया है। कोर्ट न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को कोई शब्द या आंकड़ा लिखने का निर्देश दे सकता है ताकि न्यायालय ऐसे लिखे गए शब्दों या आंकड़ों की तुलना ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखे गए कथित शब्दों या आंकड़ों से कर सके। इसलिए, इस न्यायालय की विनम्र राय में, मतदाता मूल रजिस्टर – प्रदर्श 7 और प्रदर्श 8 के हस्ताक्षरों की खुली आंखों से तुलना करने मात्र से न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था कि जिन व्यक्तियों के नाम वार्ड नंबर 10 से हटाए गए थे, वे वही व्यक्ति थे जिन्होंने वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 12 में वोट डाले थे।

24. प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील का तर्क कि जिन व्यक्तियों का नाम प्रदर्श 7 और प्रदर्श 8 में था संभवतः वही व्यक्ति थे जो वोट डालने जा रहे थे, उन्हें पहचान पत्र साथ रखना पड़ता था और उन्हें पहचान पत्र दिखाने पर ही वोट डालने की अनुमति दी जाती थी और चूंकि वर्तमान मामले में यह माना जा सकता है कि प्रदर्श 7 और प्रदर्श 8 में जिन व्यक्तियों के नाम थे, वे वही व्यक्ति थे जिनके नाम वार्ड नं. 10 से हटा दिए गए थे, उनके पास पहचान पत्र थे और इसलिए वे वही व्यक्ति थे, इसलिए इसे केवल इस आधार पर खारिज किया जाता है कि प्रदर्श 7 और प्रदर्श 8 में किए गए हस्ताक्षरों के संबंध में डी.डब्लू.5 पुरखा राम,

डी.डब्लू.6 भागीरथ और डी.डब्लू.7 जगदीश से जिरह में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, खासकर तब जब तीनों व्यक्तियों ने इस तथ्य से इनकार किया था कि उन्होंने एक ही स्थान पर वोट डाला है, न कि दो स्थानों पर। मतदाताओं द्वारा अपने साथ रखे गए पहचान पत्र के संबंध में यह मुद्दा/मामला न तो चुनाव याचिका में उठाया गया और न ही चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया गया, इसलिए चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा इस पर चर्चा और विचार-विमर्श नहीं किया गया। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रतिवादी संख्या 1 के मात्र अनुमान का कोई महत्व नहीं है।

25. सरकारी दस्तावेजों की धारणा के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 की अगली दलील कोई मदद नहीं करती है क्योंकि किसी ने भी प्रदर्श 7 और प्रदर्श 8 की सत्यता या वैधता पर विवाद नहीं किया था, लेकिन प्रदर्श पी.7 और प्रदर्श पी.8 में किए गए हस्ताक्षरों को संदेह से परे साबित करना आवश्यक था कि उनमें नामित व्यक्तियों ने केवल यह दिखाने के लिए उन हस्ताक्षरों को लिखा है कि एक ही व्यक्ति ने दो स्थानों पर अपना वोट डाला था। चूंकि हस्ताक्षरों की जांच केवल विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा खुली आंखों से की गई थी, बिना इस तथ्य को स्थापित करने के लिए कानून के तहत प्रदान की गई सहायता के कि जिन व्यक्तियों के नाम वार्ड नंबर 10 से हटा दिए गए हैं, उन्होंने केवल वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 12 में अपना वोट डालते समय उन हस्ताक्षरों को लिखा था। उक्त तथ्य को साबित करना आवश्यक था और इस न्यायालय की राय में, ऐसा नहीं किया गया।

26. प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि डी.डब्लू.2 ओमा राम, डी.डब्लू.4 रामरख सोलंकी और डी.डब्लू.5 पुरखा राम ने अपनी जिरह में मतदाता सूची में अपनी फोटो के संबंध में संतोषजनक उत्तर दिया है - प्रदर्श 14 और प्रदर्श 15। प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मामले में कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि मतदाता सूची में यदि किसी व्यक्ति का नाम और फोटो दो स्थानों पर है, जैसा कि उल्लेख किया गया है, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा जब तक कि यह सकारात्मक रूप से नहीं दिखाया जाता है और ठोस सामग्री द्वारा साबित नहीं किया जाता है कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्शाए गए थे, उन्होंने वास्तव में दो स्थानों पर अपना वोट डाला था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मतदाता सूची प्रदर्श 14 और प्रदर्श 15, प्रदर्श 7 और प्रदर्श 8 (मतदाता मूल रजिस्टर) से पूरी तरह से अलग है जो वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक दस्तावेज हैं।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजय बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2023(4) आरएलडब्लू 3528 (एससी) मामले में माना है कि:-

> "33. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का अध्ययन करने के पश्चात, हम द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच के लिए निम्नलिखित प्रासंगिक सिद्धांतों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं:
>
> 33.1 कानून के अनुसार सबसे अच्छा साक्ष्य सबसे पहले दिया जाना चाहिए, अर्थात प्राथमिक साक्ष्य (देखें नीरज दत्ता बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली (5-जज बेंच) (2023) 4 एससीसी 731; यशोदा बनाम के. शोभा रानी (2-जज बेंच) (2007) 5 एससीसी 730)।
>
> 33.2 साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 में उन दस्तावेजों की सूची दी गई है जिन्हें द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो केवल प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में ही स्वीकार्य है (देखें यशोदा (उपरोक्त))।
>
> 33.3 यदि मूल दस्तावेज उपलब्ध है, तो उसे प्राथमिक साक्ष्य के लिए निर्धारित तरीके से प्रस्तुत और सिद्ध किया जाना चाहिए। जब तक सबसे अच्छा साक्ष्य कब्जे में है या प्रस्तुत किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है, तब तक कोई निम्नतर सबूत नहीं दिया जा सकता है। (यशोदा (उपरोक्त) देखें)।
>
> 33.4 किसी पक्ष को विषय-वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए, और केवल असाधारण मामलों में ही द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार्य होंगे। अपवाद तब राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जब कोई पक्ष वास्तव में उस पक्ष की किसी गलती के कारण मूल प्रस्तुत करने में असमर्थ हो (एम. चंद्रा बनाम एम. थंगमुथा (2-न्यायाधीशों की बेंच) (2010) 9 एससीसी 712 देखें)।
>
> 33.5 जब किसी दस्तावेज़ की अनुपलब्धता को पर्याप्त रूप से और उचित रूप से स्पष्ट किया जाता है, तो द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति दी जा सकती है (देखें नीरज दत्ता (उपरोक्त))।

33.6 द्वितीयक साक्ष्य तब दिया जा सकता है जब पक्षकार किसी भी कारण से मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर सकता है जो उसकी चूक या उपेक्षा से उत्पन्न नहीं होता है **(**देखें सुरेन्द्र कृष्ण रॉय बनाम मुहम्मद सैयद अली मतवाली मिर्जा **1935** एससीसी ऑनलाइन पीसी **56)**।

33.7 जब मूल दस्तावेज़ की अनुपस्थिति में प्रतियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो वे अच्छे द्वितीयक साक्ष्य बन जाते हैं। फिर भी, इस बात के लिए आधारभूत साक्ष्य होना चाहिए कि कथित प्रति मूल की एक सच्ची प्रति है। **(**देखें एच. सिद्दीकी बनाम ए. रामलिंगम, **(2-**न्यायाधीश बेंच**) (2011) 4** एससीसी **240)**।

33.8 किसी दस्तावेज़ की विषय-वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले, मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत न किए जाने का इस तरह से हिसाब लगाया जाना चाहिए कि उसे धारा में दिए गए किसी एक मामले के अंतर्गत लाया जा सके। **(**देखें एच. सिद्दीकी बनाम ए. रामलिंगम, **(**द्वितीय न्यायाधीश पीठ**) (2011) 4** एससीसी **240)**।

33.9 न्यायालय द्वारा किसी दस्तावेज को मात्र प्रदर्शित के रूप में प्रस्तुत करना और उस पर निशान लगाना ही उसकी विषय-वस्तु का उचित प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसे कानून के अनुसार सिद्ध किया जाना चाहिए **(**देखें एच. सिद्दीकी **(**उपरोक्त**))**।"

28. न्यायालय द्वारा किसी दस्तावेज को मात्र प्रस्तुत करना और उसे प्रदर्श के रूप में चिह्नित करना ही उसकी विषय-वस्तु का उचित प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसे कानून के अनुसार सिद्ध करना होता है। वर्तमान मामले में, चूंकि अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सिद्ध नहीं किए गए थे, इसलिए केवल उनका प्रस्तुत करना ही पर्याप्त नहीं था और इसे अपने आप में सिद्ध नहीं माना जा सकता था।

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओ.भारतन बनाम के.सुधाकरन एवं अन्य (1996) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 704 के मामले में निम्न प्रकार से निर्णय दिया है:-

"12. ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीश ने मामले में अपर्याप्त सामग्री और साक्ष्य के आधार पर अमान्य और अवैध वोटों के प्रश्न का निर्णय लिया है। अधिकांश गवाहों ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने एक से अधिक बार मतदान किया है

और उन्होंने काउंटरफॉइल में अपने हस्ताक्षरों से भी इनकार किया है। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान न्यायाधीश किसी विशेषज्ञ द्वारा तुलना के लिए स्वीकृत हस्ताक्षरों वाले दस्तावेजों को तलब कर सकते थे और खुद भी उनकी तुलना कर सकते थे। इसके बजाय विद्वान न्यायाधीश ने सैकड़ों विवादित हस्ताक्षरों की तुलना करने के खतरनाक कार्य को समझा, जिनमें व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं हैं, ताकि एक उम्मीदवार, अपीलकर्ता के चुनाव को रद्द किया जा सके।

13. विद्वान न्यायाधीश ने अपने निर्णय में निम्न प्रकार से टिप्पणी की है:

> "अधिकांश गवाहों ने या तो अपने हस्ताक्षरों से इनकार किया या अपने हस्ताक्षरों को पहचानने में असमर्थता व्यक्त की। कुछ सुशिक्षित व्यक्तियों के मामले में जब उन्हें हस्ताक्षर वाले काउंटरफॉयल दिखाए गए, तो उन्होंने कहा कि वे हस्ताक्षरों को नहीं पहचान सकते। प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति अपने हस्ताक्षरों को तब पहचान सकेगा जब उसे हस्ताक्षर दिखाए जाएँगे।"

14. उपरोक्त तथ्य के बावजूद, अर्थात्, विद्वान न्यायाधीश ने गवाहों की गवाही पर संदेह करते हुए, सच्चाई जानने के लिए कानूनी तरीके से उनका सामना करने के बजाय, अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुँच गए। विद्वान न्यायाधीश ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के दायरे का आकलन करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के तहत विवादित हस्ताक्षर की तुलना केवल स्वीकृत हस्ताक्षरों से ही की जा सकती है, तथा काउंटरफॉयल में पाए गए हस्ताक्षरों की तुलना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या दोनों हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति के हैं।

15. इस मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, विद्वान न्यायाधीश ने किसी विशेषज्ञ की सहायता या विवादित हस्ताक्षरों से परिचित व्यक्तियों के साक्ष्य के बिना काउंटरफॉइल पर विवादित हस्ताक्षरों की तुलना करने का कार्य अपने ऊपर लेने में गलती की। इसलिए, विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 की भावना के अनुरूप नहीं है। यद्यपि राज्य (दिल्ली

प्रशासन) बनाम पाली राम और फखरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में इस न्यायालय के फैसले उनके संज्ञान में लाए गए थे, विद्वान न्यायाधीश ने विवादित हस्ताक्षरों की तुलना स्वयं करने के लिए आगे बढ़े और इस मुद्दे का फैसला किया। ऐसा करते समय, विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "इसलिए इन सभी गवाहों की आदत है कि वे कभी-कभी अपने हस्ताक्षर करते हैं। अजीब बात यह है कि अधिकांश गवाहों ने या तो अपने हस्ताक्षर से इनकार किया या अपने हस्ताक्षर पहचानने में असमर्थता व्यक्त की। यहाँ तक कि कुछ सुशिक्षित व्यक्तियों के मामले में भी जब हस्ताक्षरों वाले काउंटरफॉइल उन्हें दिखाए गए, तो उन्होंने कहा कि वे हस्ताक्षरों की पहचान नहीं कर सकते। हर विवेकशील व्यक्ति अपने हस्ताक्षर को तब पहचान सकता है जब उसे हस्ताक्षर दिखाए जाएँ। यह स्पष्ट है कि इन गवाहों ने अपने हस्ताक्षरों से इनकार किया या हस्ताक्षर पहचानने में विफल रहे, जिसका उद्देश्य यह था कि कम से कम एक हस्ताक्षर को स्वीकृत हस्ताक्षर के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए ताकि अस्वीकृत हस्ताक्षर के साथ तुलना की जा सके। यह भी संभव है कि जिन गवाहों ने एक से अधिक वोट डाले थे, उन्होंने यह दिखावा किया कि वे किसी भी हस्ताक्षर की पहचान नहीं कर सकते, ताकि यह विश्वास हो सके कि उन्होंने एक से अधिक वोट नहीं डाले हैं। हस्ताक्षरों से इनकार करना और इन गवाहों द्वारा अपने हस्ताक्षरों की पहचान करने में विफल होना, इस बात पर विचार करने योग्य है कि विभिन्न प्रतिपर्णों में पाए गए हस्ताक्षरों की समानता की पृष्ठभूमि में इन गवाहों ने अपने हस्ताक्षरों से इनकार किया या हस्ताक्षर पहचानने में विफल रहे। ।"

18. हमारे विचार में विद्वान न्यायाधीश ने पाली राम मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को इस आधार पर दरकिनार करना

सही नहीं किया कि यह कोई आपराधिक मामला नहीं था या हस्ताक्षरों की वास्तविकता और प्रामाणिकता पर निर्णय लेने का जोखिम भरा कार्य अपने ऊपर ले लिया, वो भी बिना कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता की सहायता के, जिनकी सेवाएँ आसानी से ली जा सकती थीं। लोकप्रिय इच्छा के निर्णय को रद्द करना समाज के लिए उतना ही गंभीर मामला है जितना कि आपराधिक अपराधों से संबंधित कानूनों का प्रवर्तन, यदि उससे भी अधिक नहीं। यद्यपि विवादित हस्ताक्षरों की स्वीकृत हस्ताक्षरों के साथ वैज्ञानिक तुलना के बाद न्यायाधीश या जूरी के रूप में कार्य करना विशेषज्ञ का काम है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा ऐसी स्थितियों में अपनाए जाने वाले मार्ग के प्रति दी गई सावधानी को अंततः दिए जाने वाले निर्णय से उत्पन्न होने वाले गंभीर परिणामों को ध्यान में रखे बिना अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उद्धृत करने के लिए यह पाली राम (एससीसी पृष्ठ 168, पैरा 30) में अभिनिर्धारित किया गया है;

> "इस मामले को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। यद्यपि न्यायाधीश द्वारा विवादित लेखन को स्वीकार किए गए लेखन के साथ अपनी आँखों से तुलना करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, यहाँ तक कि किसी हस्तलेख विशेषज्ञ के साक्ष्य की सहायता के बिना भी, न्यायाधीश को विवेक और सावधानी के मामले में, किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले का आधार बनने वाले हस्तलेख की पहचान के संबंध में अपने निष्कर्ष को केवल स्वयं द्वारा की गई तुलना पर आधारित करने में संकोच करना चाहिए। इसलिए, यह उचित नहीं है कि एक न्यायाधीश को विवादित लेखन के साथ स्वीकार किए गए लेखन की तुलना करने का कार्य अपने ऊपर लेना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं या नहीं: और विवेकपूर्ण तरीका एक विशेषज्ञ की राय और सहायता प्राप्त करना है।"

19. उक्त ठोस सलाह और मार्गदर्शन का पालन करना उस मामले में और भी अधिक आवश्यक है, जहां सैकड़ों हस्ताक्षर विवादित हैं और

चुनाव याचिका के परीक्षण के समय न्यायालय द्वारा उल्लेखनीय असमानताएं देखी गई हैं।

20. प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील हमें यह विश्वास दिलाने में सक्षम नहीं थे कि विद्वान न्यायाधीश ने मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में हस्ताक्षरों की तुलना करके और अपीलकर्ता के खिलाफ निष्कर्ष प्रस्तुत करके किसी भी प्रकार सही किया था। चूंकि हम इस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर भी संतुष्ट हैं कि विद्वान न्यायाधीश ने सैकड़ों विवादित हस्ताक्षरों की तुलना करके वोटों को शून्य घोषित करने के लिए सही नहीं किया था, इसलिए हमें हमारे सामने पेश किए गए अन्य तर्कों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

21. चूंकि हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के पक्ष में कम से कम 130 वोट पहले दिए गए कारणों से वैध रूप से डाले गए हैं, इसलिए उसे प्रथम प्रतिवादी से 43 वोट अधिक प्राप्त हुए हैं।

22. परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि विद्वान न्यायाधीश अपीलकर्ता के चुनाव को शून्य घोषित करने और प्रथम प्रतिवादी को विधिवत निर्वाचित घोषित करने में सही नहीं थे। तदनुसार, अपील को अनुमति दी जाती है और चुनाव याचिका को पूरी तरह से लागत के साथ खारिज किया जाता है।

दिलचस्प बात यह है कि ए. नीललोहितदासन नादर बनाम जॉर्ज मैस्करीन एवं अन्य (1994) एआईआर (एससीडब्ल्यू) 2198 के मामले में प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील द्वारा लिया गया निर्णय याचिकाकर्ता का समर्थन करता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से उस तरीके को प्रतिपादित करता है जिसमें हस्ताक्षरों की तुलना करते समय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 को लागू किया जाना आवश्यक है:-

15. साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के सहसंबंध और नियोजन के मामले में, उच्च न्यायालय ने फखरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1967 एससी 1326 में इस न्यायालय के एक निर्णय का समर्थन लिया, उच्च न्यायालय ने अपील के तहत निर्णय के पैराग्राफ 13 में तुलना के अपने कदम को इस प्रकार उचित ठहराया:

> "प्रथम प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने एक तर्क दिया कि इस न्यायालय को गवाहों के हस्ताक्षरों की तुलना करने के लिए हस्तलेख के विशेषज्ञ की भूमिका नहीं लेनी चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि वे एक ही व्यक्ति के

हस्ताक्षर हैं या नहीं। वकील के अनुसार, विवादित हस्ताक्षरों को विशेषज्ञों के पास उनकी राय के लिए भेजा जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को हस्ताक्षरों की पहचान स्थापित करने के लिए गवाहों के हस्ताक्षर से परिचित व्यक्तियों की जांच करनी चाहिए। हस्तलेख लेखक की स्वीकृति पर या किसी ऐसे गवाह के साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है जिसकी उपस्थिति में वह लिखा गया हो। यह प्रत्यक्ष साक्ष्य है। ऐसे प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में हस्तलेख विशेषज्ञ या उस व्यक्ति के लेखन से परिचित किसी व्यक्ति की राय सुसंगत होती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष साक्ष्य के अलावा जो निश्चित रूप से प्रमाण का सर्वोत्तम तरीका है, कानून दो अन्य तरीकों को भी सुसंगत बनाता है, अर्थात्, किसी लेखन को किसी विशेष व्यक्ति का हस्तलेख साबित किया जा सकता है, उस व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित किसी व्यक्ति के साक्ष्य से या किसी विशेषज्ञ की गवाही से जो वैज्ञानिक आधार पर हस्तलेखों की तुलना करने में सक्षम हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 में एक तीसरी विधि भी प्रदान की गई है। यह न्यायालय द्वारा न्यायालय की उपस्थिति में किए गए लेखन या उस व्यक्ति के लेखन के रूप में स्वीकार या सिद्ध किए गए लेखन के साथ तुलना है। न्यायालय स्वीकार या सिद्ध किए गए लेखन पर अपना स्वयं का अवलोकन लागू कर सकता है और विवादित लेखन के साथ उनकी तुलना कर सकता है। यह तुलना स्वीकृत या प्रमाणित लेखन में विशेषताओं के विश्लेषण और विवादित लेखन में काफी हद तक समान विशेषताओं पर निर्भर करती है। यदि हस्तलेख पर विशेषज्ञ की राय है, तो भी इसे न्यायालय द्वारा जांच के अधीन किया जाता है। विशेषज्ञ की राय अंतिम शब्द नहीं है। न्यायालय को स्वयं देखना चाहिए कि क्या यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि दोनों लेखन एक ही व्यक्ति के हैं। इस सीमा तक न्यायालय एक विशेषज्ञ की भूमिका निभा सकता है। न्यायालय विवादित हस्ताक्षर को गवाह का तभी मान सकता है जब वह अपने अवलोकन से संतुष्ट हो कि उसे स्वीकार करना सुरक्षित है। इस दृष्टिकोण से, मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि गवाह के स्वीकृत हस्ताक्षर की तुलना किसी विशेषज्ञ द्वारा मतपत्र के विवादित काउंटरफॉइल में हस्ताक्षर से की जाए। यह न्यायालय

हस्ताक्षरों की विशेषताओं की जांच कर सकता है। यदि यह पाया जाता है कि विवादित हस्ताक्षर में स्वीकृत हस्ताक्षर के समान ही विशेषताएं हैं, तो यह सुरक्षित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि दोनों एक ही व्यक्ति के हैं।

उच्च न्यायालय ने अंततः अपनी संतुष्टि दर्ज की या हस्ताक्षरों के मामले में इसके विपरीत किया जिसके परिणामस्वरूप दोहरी वोटिंग हुई और प्रतिरूपण हुआ, तथा हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 को लागू करने के दृष्टिकोण को छोड़कर, इस संबंध में तथ्यों पर कोई सार्थक तर्क हमारे सामने नहीं रखा गया। यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय को विशेषज्ञ नहीं बनना चाहिए था। हालाँकि, हमारा विचार है कि जब चुनाव याचिका के शीघ्र निपटान से व्यापक जनहित की पूर्ति होती है, तो उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तरीका, जैसा कि पूर्वोक्त उद्धरण से सुझाया गया है, इसके अनुरूप है। हालाँकि न्यायालयों को इस पद्धति का सहारा लेने में ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम इसे दोषपूर्ण नहीं पाते हैं, खासकर तब जब न्यायालय ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का सहारा लेते हैं, जैसा कि इस न्यायालय के दो अन्य मामलों राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम पाली राम और 1980 क्रिलजे 396 (एससी) में अनुमोदित किया गया है। अनुक्रम के रूप में, मुद्दा संख्या 1 पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष पूरी तरह से सही है।

30. प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन अन्य निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते। इसलिए, यह न्यायालय उन पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

31. दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो, यद्यपि निर्वाचन न्यायाधिकरण के लिए हस्ताक्षरों की खुली आंखों से जांच करने में कोई बाधा या कानूनी रोक नहीं है, तथापि, विवादित हस्ताक्षरों की तुलना उन व्यक्तियों के स्वीकृत हस्ताक्षरों से की जानी थी, वह भी किसी हस्तलेख विशेषज्ञ की सहायता के बिना। लेकिन वर्तमान मामले में, विद्वान निर्वाचन न्यायाधिकरण ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 में निहित प्रक्रिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन किए

बिना, केवल मतदाता मूल रजिस्टर में प्रदर्श 7 और प्रदर्श 8 में नामित व्यक्तियों के हस्ताक्षरों की तुलना की और अपनी राय बनाई। न्यायाधीश द्वारा स्वयं की गई तुलना सही दृष्टिकोण नहीं था। इसलिए, निर्वाचन न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदर्श 7 और प्रदर्श 8 में दो हस्ताक्षरों की तुलना करने का कार्य उन व्यक्तियों के स्वीकृत हस्ताक्षरों से तुलना किए बिना और मामले में हस्तलेख विशेषज्ञ की सहायता लिए बिना अपने ऊपर लेना सही नहीं था। इसलिए, चुनाव न्यायाधिकरण ने मुद्दा संख्या 2 पर निष्कर्ष दर्ज करते समय एक त्रुटि की।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, विद्वान चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा मुद्दा संख्या 2 पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दर्ज किया गया निष्कर्ष साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के तहत उपलब्ध विकल्प का सहारा लिए बिना आदेश में नामित व्यक्तियों के प्रदर्श 7 और प्रदर्श 8 में केवल हस्ताक्षरों की खुली आंखों से तुलना करना है। जिन व्यक्तियों ने वे हस्ताक्षर किए थे, उनसे न तो आमना-सामना कराया गया और न ही उनके स्वीकृत हस्ताक्षरों की तुलना विवादित हस्ताक्षरों से की गई और इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि ये हस्ताक्षर उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनके नाम इस न्यायालय की राय में वार्ड संख्या 10 से हटा दिए गए हैं, न्यायसंगत, उचित और सही नहीं है।

33. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार, इसे अनुमति दी जाती है। चुनाव न्यायाधिकरण का दिनांक 07.12.2023 का आदेश रद्द किया जाता है और अपास्त किया जाता है। चुनाव याचिका खारिज की जाती है।

34. स्थगन आवेदन और अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(**विनीत कुमार माथुर**),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।